

142  
15

पत्रावली का लोक अदालत में ~~उपस्थित~~ न  
निस्तारण नहीं हो सका/पत्रावली वास्ते  
दि. 6.10.15 को पेश हो। अनु/

अध्यक्ष एवं उप खण्ड अधिकारी  
लोक अदालत (राजगढ़) अलवर

6/10/15

वादी के वकील/वकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी  
... है। ... पेश किया  
नकल दिलाई गई। वास्ते... पत्रावली  
दिनांक... को पेश हो।

8/11/15

रीडर

8.12.15

वादी के वकील/वकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी  
... है। ... पेश किया  
नकल दिलाई गई। वास्ते... पत्रावली  
दिनांक 2.2.15 को पेश हो।

रीडर

2/1/16

वादी के वकील/वकुलाय उपस्थित/वकीलों का कार्य  
रूक गित है। ... पेश किया, नकल दिलाई  
गई। वास्ते... दिनांक... को पेश हो।

5/4/16

5/4/16

वादी के वकील/वकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी  
... है। ... पेश किया  
नकल दिलाई गई। वास्ते... पत्रावली  
दिनांक... को पेश हो।

रीडर

27.6  
16

पत्रावली राजगढ़ लोक अदालत/कैम्पकोट  
जहाँ भाजपुर में कक्षा हुई। वकीलवादी  
व्यवस्थापक को उपरोक्त कार्यों में बाध  
कार्यवाही नहीं करे वरिष्ठ वरिष्ठ  
होतुं विचारण किया।-

Not  
press  
राजगढ़

Comptroller P. Arora

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुकाम रामगढ़ जिला-अलवर

श्री प्रसाद बनाम नारायण दारण

33.188 R.A. नं. 1/235/14 सन्

हुकम या कार्यवाही मयईनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

अप्रील 1947 के आदेश पर  
शुक्रवार 10/1/1947 में खारिज  
दिया जाता है (पुनर्विचार) निरर्थक  
शुक्रवार 10/1/1947 दारण

अध्यक्ष एवं उप खण्ड अधिकारी  
लोक अदालत (रामगढ़) अलवर